मा० श्री नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री बिहार

डॉ. अब्दुल गफूर
मंत्री, अ०क०वि०, बिहार

मार्गनिर्देशिका

बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34-हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) हज भवन, पटना-1

बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के माध्यम से संचालित होने वाली राज्य सम्पोषित "मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण" योजना।

1. **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना :-**

बिहार राज्य में राज्य सम्पोषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा (तकनीकी एवं व्यवसायिक) ऋण योजना राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के पाँच समुदायों (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी) के व्यक्तियों को लाभांवित करने हेतु संचालित की जायेगी।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शैक्षणिक ऋण योजना में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के मेडिकल/तकनीकी/आई.टी.आई./बी.एड./एम.एड./विधि एवं प्रबंधन शिक्षा तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए, जो कि पाँच वर्षो की अवधि से अधिक की न हो, में **प्रति वर्ष अधिकतम एक लाख रूपये तक की दर से अधिकतम पाँच वर्षों के पाठ्यक्रम के लिए पाँच लाख रूपये तक का ऋण मुहैया कराया जाना है।**

2. **योजना की रूप रेखा :-**

i. राज्य सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के तहत योजना मद में प्रत्येक वित्तीय वर्ष 10 करोड़ रूपये की दर से कुल 50 करोड़ रूपये बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा जो वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि में प्राप्त होगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा निगम को उपलब्ध करायी गयी राशि से प्रत्येक वर्ष मुख्य मंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना में वितरित किया जाऐगा तथा इस योजना में वितरित ऋण राशि की वसूली रकम (मूल धन) का उपयोग पुन: इस योजना में ऋण वितरण करने हेतु Revolving fund के रूप में उपयोग किया जायेगा।

iii. इस योजना में उपलब्ध निधि के विरूद्ध अर्जित ब्याज, लाभुकों से प्राप्त ब्याज की राशि तथा प्रोसेसिंग चार्ज के मद में प्राप्त राशि का उपयोग प्रशासनिक व्यय, डिलेभरी कॉस्ट, प्रचार प्रसार तथा अन्यान्य व्यय के मद में किया जायेगा।

iv. इस योजना की निधि रखने के निमित निगम द्वारा अलग से बैंक खाता का संचालन एवं संधारण किया जाऐगा।

v. राज्य सरकार द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाऐगा, जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :

(क) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव या सचिव के द्वारा मनोनीत अपर सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी – अध्यक्ष

(ख) मानव संसाधन विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के एक प्रतिनिधि – सदस्य

(ग) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग के उप सचिव से अन्यून स्तर के एक प्रतिनिधि – सदस्य

(घ) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के आंतरिक वित्तीय सलाहकार – सदस्य

(ङ) प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम – सदस्य सचिव

बैठक में अध्यक्ष के अतिरिक्त न्यूनतम दो सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

इस चयन समिति द्वारा लाभांवित होने वाले छात्र/छात्राओं का उनसे प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर चयन किया जाऐगा, जिन्हें ऋण की स्वीकृति देने के लिए प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना प्राधिकृत होंगे, जो निदेशक पर्षद से अनुमोदित कराकर स्वीकृति प्रदान करेंगे ।

निगम द्वारा शैक्षणिक ऋण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से यथासम्भव 45 दिनों के अन्दर ऋण वितरण कर दिया जायेगा ।

vi. निगम द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने से सम्बन्धित प्राप्ति रसीद निर्गत किया जायेगा।

3. <u>उक्त योजना के लाभांवितों हेतु पात्रता मापदण्ड</u> :

- आवेदक की आयु 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये।
- वैसे छात्र/छात्रा जिन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में नामांकन हेतु चयनित हो।
- वैसे छात्र/छात्रा जो बिना प्रतियोगिता परीक्षा के केन्द्र/राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या भारत सरकार के मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना के लिए अनुमोदित शिक्षण संस्थानों या ए.आई.सी.टी.ई. (ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेकनिकल एजुकेशन) अथवा राज्य सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज/संस्थान में तकनीकी या व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन लेकर अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन विहित प्रपत्र में भर कर उसके साथ शिक्षण संस्थान का नामांकन से सम्बन्धित साक्ष्य या अनुशंसा पत्र संलग्न कर समर्पित करना होगा।
- पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि 5 वर्षो की होगी। इसमें डिग्री/डिपलोमा दोनों पाठ्यक्रम शामिल होंगे।
- आवेदकों के पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो।
- भारत सरकार के मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना या किसी अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त किए छात्र/छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- उक्त योजना में बी.पी.एल. के छात्र/छात्राओं को प्राथमिकता दिया जायेगा।

4. <u>शैक्षणिक ऋण की स्वीकृति में राशि के निर्धारण हेतु विचारणीय मदः</u>

(क) प्रवेश शुल्क, ट्यूशन फीस व होस्टल शुल्क – वास्तविक राशि

(ख) पाठ्यक्रम के लिए अपेक्षित पुस्तकों की लागत, स्टेशनरी व अन्य सामान क्रय हेतु – अधिकतम 20 हजार रूपये प्रति वर्ष

(ग) परीक्षा शुल्क – वास्तविक राशि

(घ) लैप-टौप/डेस्क टौप का क्रय – एक बार अधिकतम 40 हजार रूपये मात्र

नोट :- उपरोक्त मदों पर आधारित ऋण की कुल देय राशि की अधिकतम सीमा एक लाख रूपया प्रतिवर्ष

ii) शिक्षा ऋण को स्वीकृत राशि बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर द्वारा कराया जायेगा।

iii) शिक्षा ऋण की स्वीकृति की सूचना सूची सहित निगम के वेबसाइट पर Upload किया जायेगा। साथ ही इसकी सूचना छात्र/छात्रा के अभिभावक तथा उनके गारन्टर को दिया जायेगा।

ऋण देने की शर्तें :

i) छात्र/छात्रा के पिता/माता/अभिभावक की वार्षिक आय एवं आवासीय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डलाधिकारी या प्रखण्ड विकास पदाधिकारी या अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, आवेदन पत्र के साथ मूल में समर्पित करना होगा। मुस्लिम को छोड़ कर अन्य अल्पसंख्यको हेतु उनके धर्म सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित धर्मावलम्बी संस्थानों (Monasteris) द्वारा निर्गत हो।

ii) कॉलेज/शिक्षण संस्थान द्वारा दिये गये बिल/शुल्क संरचना के अनुसार कॉलेज/संस्थान को हॉस्टल, प्रवेश शुल्क ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क इत्यादि की राशि का शिक्षण संस्थान के नाम का चेक/बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जायेगा या बैंक के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक

ट्रांसफर कराया जायेगा।

iii) पुस्तक, स्टेशनरी एवं लैप-टॉप/डेस्क टॉप इत्यादि का क्रय के लिए आवेदक का नाम का चेक/बैंक ड्राफ्ट सीधे सम्बन्धित छात्र/छात्रा को उपलब्ध कराया जायेगा।

iv) सम्बन्धित कॉलेज/शिक्षण संस्थान की पद्यति के अनुसार ऋण सेमेस्टर/सत्र के आधार पर किस्तों में दिया जायेगा। सम्बन्धित छात्र/छात्रा द्वारा पिछले सेमेस्टर/सत्र को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद अगले किस्त का भुगतान किया जायेगा। संस्थान के प्रमुख से इस संदर्भ में प्रमाण पत्र या छात्र से अंक पत्र प्राप्त किया जायेगा।

v) आवेदक को इस आशय का एक शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा नौकरी बदली किये जाने पर निगम को तद्नुसार सूचित करेंगे।

<u>ब्याज दर</u> :-

i) इस योजना के अन्तर्गत निगम द्वारा 4% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर लाभार्थियों को ऋण राशि मुहैया कराया जायेगा तथा छात्र/छात्रा के पाठ्यक्रम अवधि को स्थगन अवधि (Moratorium Period) माना जायेगा और इस Moratorium Period को ब्याज मुक्त रखा जायेगा।

ii) इस योजना के निमित चयनित आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान करने के समय निगम द्वारा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में स्वीकृत राशि का 0.5% (न्यूनतम 250/- रूपये तथा अधिकत 500/- रूपये) लिया जायेगा।

7) <u>दण्ड ब्याज</u> :-

i) लाभुकों द्वारा प्रत्येक वर्ष के देय किस्तों की राशि के अनुसार भुगतान नहीं किये जाने पर वर्ष की समाप्ति के पश्चात उनसे निगम द्वारा देय किस्तों की राशि पर दण्ड ब्याज के रूप में अतिरिक्त 5% वसूली किया जायेगा।

8) <u>ऋण की वापसी</u> :-

i) पाठ्यक्रम की समाप्ति के 6 माह बाद या उसके पूर्व नियोजित हो जाने पर ऋण लेने वाले लाभार्थी को मूल धन व ब्याज अधिक से अधिक 60 समान मासिक किस्तों में वापस करना होगा।

ii) यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश अध्ययन जारी नहीं रखता है तो निगम से लिये गये ऋण की राशि ब्याज सहित एक मुश्त लौटाना होगा तथा उन्हें Moratorium Period का लाभ नहीं मिलेगा।

9) <u>गारन्टर/एकरारनामा</u> :-

i) कुल अवधि के लिए चार लाख रूपया तक की राशि के ऋण के लिए कोई सेक्यूरिटी नहीं ली जाएगी। उससे अधिक की राशि के ऋण के लिए समुचित राशि की कोलेटरल सेक्यूरिटी अथवा माता-पिता/ अभिभावक/ तृतीय पक्ष को सह-ऋणि (Co-borrower) बनाया जाएगा साथ ही छात्र के भविष्य में होने वाली आय को किस्त के रूप में भुगतान हेतु सुरक्षित किया जाएगा।

ii) ऋण वापसी के लिए लाभार्थी अर्थात छात्र जिसने ऋण लिया है उससे किसी भी बैंक (सहकारी एवं क्षेत्रीय बैंक को छोड़कर) कम से कम 10 अधिकतम 20 उत्तरदिनांकित चेक लिया जाना है।

زیادہ سے زیادہ=/500) لیا جائے گا۔

7. جرمانہ سود

قرض یافتہ کے ذریعہ ہر سال قابل ادا قسطوں کی ادائیگی وقت مقررہ پر نہیں کئے جانے پر سال ختم ہونے کے بعد بقایہ قسط پر جرمانہ سود کے طور پر 5% اضافی وصول کیا جائے گا۔

8 قرض کی واپسی:

i. نصاب کی تکمیل کے 6 ماہ بعد اس کے قبل نوکری مل جانے پر قرض یافتہ کو زیادہ سے زیادہ 60 برابر ماہوار قسطوں میں قرض واپس کرنا ہوگا۔

ii. اگر قرض یافتہ کسی سبب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھتا ہے تو کارپوریشن سے لئے گئے قرض کی رقم سود سمیت یکمشت لوٹانا ہوگا اور انہیں moratorium period کا فائیدہ بھی نہیں ملے گا۔

9. گارنٹر/اقرارنامہ:

i. کل مدت کیلئے چار لاکھ روپیہ تک کی رقم کے قرض کے لئے کوئی سیکوریٹی نہیں لی جائے گی۔ اس سے زیادہ رقم کے قرض کے لئے مناسب رقم کی کولیٹرل سیکوریٹی یا ماں باپ/گارجین/تھرڈ پارٹی کو مشترکہ قرض خواہ بنایا جائے گا اور طالب علم کی مستقبل میں ہونے والی آمدنی کو قسط کے طور پر محفوظ کیا جائے گا۔

ii. قرض کی واپسی کے لئے قرض یافتہ یعنی طالب علم جس نے قرض لیا ہے اس سے کسی بھی بینک (کوآپریٹو اور علاقائی بینک کو چھوڑکر) کم از کم 10 زیادہ سے زیادہ 20 پوسٹ ڈیٹڈ چک لیا جائے گا۔